

पत्र संख्या-बी-4-वाहन क्रय /मितव्ययिता/2020-2021/

285

// वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश  
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 23 अप्रैल, 2021

- 1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर  
वाणिज्य कर, उत्तर-प्रदेश।
- 2- अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान)  
वाणिज्य कर, गोमती नगर, लखनऊ।

शासन के पत्र संख्या-163/11-4-2021-400(26)/2006 दिनांक-07 अप्रैल, 2021 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक-18 मई, 2020 के प्रस्तर-1(7) में दी गयी व्यवस्था अनुसार विभाग द्वारा नए वाहनों को क्रय नहीं किया जाये। पूर्व में विद्यमान जो वाहन निष्प्रयोज्य हो रहे हैं, उनके स्थान पर न्यूनतम आवश्यकता का आकलन किया जाये तथा आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन अनुबंधित किया जाये। इसके अतिरिक्त सरकारी वाहनों के अनुरक्षण एवं ईंधन पर होने वाले व्यय पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा सभी स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाये कि वाहनों एवं ईंधनों का दुरुपयोग न हो। इस मद में बजट आवंटन के सापेक्ष व्यय में कमी लायी जाये।

अतः आप से अपेक्षा की जाती है कि शासन के पत्र संख्या-163/11-4-2021-400(26)/2006 दिनांक-07 अप्रैल, 2021 द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्था0अराज0) वाणिज्य कर  
मुख्यालय, लखनऊ।

OLC